राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.8(34)नविवि/RHB/2019 जयपुर, दिनांक 16 SEP 2019

आदेश

विषय :–नगरपालिका संस्थाओं एवं राजस्थान आवासन मण्डल की भूमियों/सम्पत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाये जाने के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि नगर पालिका संस्थाओं एवं राजस्थान आवासन मण्डल की भूमियों पर अवैध कब्जे हो जाते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में प्रवर्तन स्टाफ नहीं होने से अवैध कब्जे को हटाने में कठिनाईयां आती है। अतः जहां–जहां पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है, उन नगर पालिका संस्थाओं द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध नोटिस एवं हटाये जाने के आदेश की औपचारिकताएं पूर्ण कर विकास प्राधिकरण अथवा नगर विकास न्यास के प्रवर्तन स्टाफ का सहयोग लेकर तत्परता से ऐसे अतिक्रमण हटायें जायें।

संबंधित विकास प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी नगर पालिका संस्था/ आवासन मण्डल द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिये सहयोग चाहा जावे, तो वे अपना प्रवर्तन स्टाफ उन्हें उपलब्ध करावें।

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
5. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय